न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 53/2018 तारीख रजू:— 03.07.2018

मिसल आई.डी. नं. 2018/00332

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S

1.	जेसीराम पुत्र रामरतन	सभी जाति जाटव निवासी बिनेगा
2.	अमर सिंह पुत्र भरोसी	
3.	गोविन्द पुत्र रमेश	
4.	प्रदीप पुत्र रमेश	तहसील हिण्डौन जिला करौली
5.	भगवानी पत्नि रमेश	
6.	मन्तो पुत्री रमेश	
7.	मोहन पुत्र रमेश	
8.	सुनीता पुत्री रमेश पत्नि पूरन	राजस्थान ———— सायलान

बनाम

1. चंदनिया बेवा परभाती जाति जाटव, निवासी बिनेगा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।(मृतक)
2. अतरबाई पुत्री परभाती पत्नि गोपाल जाति जाटव, निवासी नांगलपहाडी, तहसील–टोडाभीम, जिला करौली।
3. धर्मबाई पुत्री परभाती पत्नि हरप्रसाद जाति जाटव, निवासी नांगलपहाडी, तहसील–टोडाभीम, जिला करौली।
4. कमलेशी पुत्री परभाती पत्नि बहादुर जाति जाटव, निवासी रूग्गापुरा, तहसील करौली, जिला करौली।
5. कमला पुत्री परभाती पत्नि पृथ्वी जाति जाटव, निवासी रुग्गापुरा, तहसील करौली, जिला करौली।
6. सुकबाई पत्नि रामकुमार जाति जाटव, निवासी बिनेगा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
7. मुकेश पुत्र रामकुमार जाति जाटव निवासी बिनेगा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

8. अशोक पुत्र रामकुमार जाति जाटव, निवासी बिनेगा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।

9. रघुवीर पुत्र रामकुमार जाति जाटव, निवासी बिनेगा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।

10. वीरवती पुत्री रामकुमार पत्नि हरकेश जाति जाटव, निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर।

11. मिथलेश पुत्री रामकुमार पत्नि विजेन्द्र जाति जाटव, निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर।

12. मिरकाबाई पुत्री रामकुमार पत्नि रमेश जाति जाटव, निवासी अन्डन का पुरा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।

13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट सायलान

2. श्री शांतिलाल करसौलिया एडवोकेट गैरसायल सं.1ता12

निर्णय

दिनांक :—09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान की ओर से उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरुद्ध ठोस एवं मजबूत आधारों पर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता सं. 89 में आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 667 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 669 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर स्थित ग्राम बिनेगा, तहसील हिण्डौन सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि

आराजी है जिसमें सायल जेसीराम का हिस्सा 1/4 अमरसिंह का हिस्सा 1/8 गोविन्द का हिस्सा 1/48, प्रदीप का हिस्सा 1/48 भगवानी का हिस्सा 1/48 मन्तो का हिस्सा 1/48 मोहन का हिस्सा 1/48, सुनीता का हिस्सा 1/48 एवं गैरसायल सं. 1 के पति एवं 2 ता 5 के पिता परभाती पुत्र टुण्डा का 1/4 हिस्सा तथा गैरसायल सं. 6 के मृतक पति एवं गैरसायल सं. 7 लगायत 12 के मृतक पिता रामकुमार पुत्र टुण्डा का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसे सायलान व गैरसायलान सं.–1 ता 12 द्वारा मौके पर बाहमी तौर पर बंटवारा कर, बाहमी बंटवारे में आये हिस्से अनुसार अपने–अपने हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक साल दर साल फसल काश्त कर करते चले आ रहे हैं। सायलान ने बाहमी बंटवारे में अपने हिस्से में आई आराजी में सम्वत 2072 में सियालू (खरीफ) ऋतु में फसल बाजरा एवं उन्हालू (रबी) ऋतु में फसल गैंहू एवं सम्वत 2073 व 2074 में सियालू ऋतु में फसल बाजरा काश्त की है। सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नं. 1 प्रार्थना पत्र की सीमाओं एवं भेज सरकारी को लेकर सायलान एवं गैरसायलान सं. 1 ता 12 के बीच आये दिन विवाद पैदा होते रहते हैं. इस कारण सायलान द्वारा गैरसायलान सं. 1 ता 12 से उक्त आराजी का बाहमी बंटवारे अनुसार या अच्छे में से अच्छा और बुरे में से बुरा मीट एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर आपसी सहमति से बंटवारे के लिए कई बार कहा है, लेकिन गैरसायलान सं. 1 ता 12 आपसी सहमति से बंटवारा करवाने के लिए तैयार व तत्पर नहीं है, गैरसायलान सं. 1 ता 12 ने दिनांक 13.06.18 को वमुकाम बिनेगा तहसील हिण्डौन उक्त आराजी का आपसी सहमति से तहसील चलकर बंटवारा करवाने से साफ इन्कार कर दिया है एवं सायलान को उनके हिस्से में बाहमी बंटवारे में चली आ रही आराजी के उपयोग उपभोग व फसल काश्त करने में व्यवधान पैदा करने की स्पष्ट धमकी दी है और कहा है कि इस बार सियालू ऋतु में भूमि मुतजिक्रा मद नं. 1 प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण आराजी में सायलान को उनके हिस्से पर भी हमेशा की तरह फसल काश्त कर लाभान्वित नहीं होने देंगे और नाजायज तौर

से बरसात होते ही सम्पूर्ण आराजी पर स्वयं फसल काश्त करेंगे। सायलान द्वारा गैरसायल सं. 1 ता 12 को काफी समझाया, लेकिन गैरसायलान अजखुद तैयार नहीं हुए, इस कारण दावा व प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान बावत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 1 ता 12 द्वारा आराजी मुतजिका मद नं 1 प्रार्थना पत्र का आपसी सहमति से तहसील चलकर विधिवत बटवारा करवाने से साफ तौर से इन्कार कर दिया। सायलान को उनके हिस्से में बाहमी बंटवारे में चली आ रही आराजी के उपयोग उपभोग व फसल काश्त करने में व्यवधान पैदा करने की स्पष्ट धमकी दी है। यदि गैरसायलान उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को ऐसी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी दृव्य में भी सम्भव नहीं है। इस कारण न्यायहित में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने से उन्हें कोई क्षति नहीं होगी। इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 667 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 669 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता–5 कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर स्थित ग्राम विनेगा, तहसील हिण्डौन में सायलान के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, ना ही किसी अन्य से करावे, सायलान को उनके हिस्से की आराजी में साल दर साल फसल काश्त कर लाभान्वित होने से नहीं रोके एवं सायलान के हिस्से में गैरसायलान अवैध अतिचार कर कोई फसल काश्त नहीं करें, ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे

उक्त आराजी के संबंध में सायलान को प्राप्त उनके विधिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 21.06.2022 को गैरसायल सं0 1 ता 12 की ओर से श्री शान्ति लाल करसौलिया ने बकालतनामा पेश किया । दिनांक 11.03.2024 को गैरसायल सं013 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। वकील गैरसायल सं0 1 ता 12 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान करने के बावजूद जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के उपरान्त दिनांक 29.09. 2025 को जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत 2072–74, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस अवगत कराया कि विवादित आराजीयात सायलान एवं गैरसायलान की सहखातेदारी की आराजीयात है। कानूनन सहखातेदारी की भूमि का जब तक विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जा सकता है। चूंकि उक्त प्रकरण में गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार होने के कारण सायलान, गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी नहीं है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर

666 रकबा 0.18 है0, 667 रकबा 0.18 है0, 668 रकबा 0.08 है0, 669 रकबा 0.06 है0, 670 रकबा 0.17 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम बिनेगा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी अमरसिंह पुत्र भरोसी हिस्सा 1/8, गोविन्द पुत्र रमेश हिस्सा 1/48, जेसीराम पुत्र रामरतन हिस्सा 1/4, प्रदीप पुत्र रमेश हिस्सा 1/48, प्रभाती पुत्र टुण्डा हिस्सा 1/4, भगवानी पत्नि रमेश हिस्सा 1/48, मन्तो पुत्री रमेश हिस्सा 1/48, मोहन पुत्र रमेश हिस्सा 1/48, रामकुमार पुत्र टुण्डा हिस्सा 1/4, सुनीता पुत्री रमेश हिस्सा 1/48 जाति जाटव सा.देह खातेदार नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 0.18 है0, 667 रकबा 0.18 है0, 668 रकबा 0.08 है0, 669 रकबा 0.06 है0, 670 रकबा 0.17 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.67 है0, वाके ग्राम बिनेगा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी के सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा गैरसायल सं01 के पति, गैरसायल सं0 2 ता 5 के पिता परभाती पुत्र टुण्डा हि0 1/4, तथा गैरसायल सं0 6 के पति एवं गैरसायल सं0 7 ता 12 के पिता रामकुमार पुत्र टुण्डा हि0 1/4 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात में हिस्सा 1/2 भाग के मुताविक जमाबन्दी रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं।

कानूनन सहखातेदारी की भूमि का जब तक विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है। चूंकि उक्त प्रकरण में गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार होने के कारण सायलान, गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी साबित नहीं है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू ही सायलान के पक्ष में साबित है। बल्कि उक्त तीनों ही बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो

इससे गैरसायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 0.18 है0, 667 रकबा 0.18 है0, 668 रकबा 0.08 है0, 669 रकबा 0.06 है0, 670 रकबा 0.17 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.67 है0, वाके ग्राम बिनेगा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दि0 03.07.2018 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली